

25
11
19

प्रेषक,

विजय शंकर उपाध्याय ,
विशेष न्यायाधीश, एस०सी०एस०टी०एक्ट,
फतेहपुर।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:- श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

विषय:- वर्ष **2017-18, 2018-19** की चल व अचल
सम्पत्ति के वांछित सूचना सम्बंध में।


महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में सादर निवेदन है कि मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष **2017-18, 2018-19** के चल व अचल सम्पत्तियों का सूचना के सम्बंध में वांछित विवरण चाहा गया है।

उपरोक्त वांछित सूचना के सम्बंध में सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा पूर्व में स्विफ्ट डिजायर कार नम्बर- यू०पी०-78 सी० एच० 3337 वर्ष 2011 में कार लोन एकाउण्ट 31691327213 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा हमीरपुर से 9000 रु की मासिक किशतों पर लिया था तथा नियमानुसार माननीय उच्च न्यायालय को सूचना प्रेषित की गयी थी। जिसका उल्लेख वित्तीय वर्ष 2017-18 के चल सम्पत्ति विवरण के कॉलम नम्बर 4 में किया है परन्तु त्रुटिवश उक्त उल्लेख चल सम्पत्ति विवरण के कॉलम नम्बर 7 में होने से रह गया है।

यह कि स्विफ्ट डिजायर कार नम्बर-यू०पी०-78 सी० एच० 3337 वर्ष 2011 में कार लोन एकाउण्ट 3169132 713 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा हमीरपुर से लिये गये ऋण की पूर्ण अदायगी दिनांक 10-07-2018 को हो चुकी थी अतएव इसका उल्लेख वित्तीय वर्ष 2017-18 के चल सम्पत्ति विवरण के कॉलम नम्बर 4 में किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2018 -19 के मार्च माह में उक्त ऋण शेष नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2018 -19 के चल सम्पत्ति विवरण के कॉलम नम्बर 7 में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

यह कि मेरे द्वारा LODGY RXI85PS कार नम्बर UP 75AA



6001 वर्ष 2017 में कार लोन एकाउण्ट नम्बर- 006 106 000 0141 बैंक आफ बडौदा कानपुर से 10408 रु की मासिक किश्तों पर लिया था तथा नियमानुसार माननीय उच्च न्यायालय को सूचना प्रेषित की गयी थी। मात्र उक्त ऋण ही वित्तीय वर्ष 2018-19 के मार्च माह में शेष था अतएव मात्र इस ऋण का उल्लेख चल सम्पत्ति विवरण के कॉलम नम्बर 7 में किया गया है।

यह कि वांछित सूचना के क्रम सं० 2 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय की ई - सर्विसेज पोर्टल पर किसी वित्तीय वर्ष की चल अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने हेतु एक वित्तीय वर्ष पूर्व की चल सम्पत्ति विवरण भी अपलोड किये जाने की व्यवस्था है। अतएव माननीय उच्च न्यायालय की ई - सर्विसेज पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2017-18 चल व अचल सम्पत्ति विवरण में वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ में धारित चल -अचल सम्पत्ति विवरण के रूप में मार्च 2017 एकाउण्ट में जमा धनराशि कालम नम्बर-5 में दर्शाया गया है तदुपरांत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अर्जित चल -अचल सम्पत्ति विवरण में वित्तीय वर्ष 2017-18 के मार्च 20 18 के अंत में एकाउण्ट जमा धनराशि को कालम नम्बर-5 में दर्शाया एवं तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय की ई - सर्विसेज पोर्टल पर चल व अचल सम्पत्ति विवरण फीड करा गया है। इस कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 के विवरण में वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ में धारित चल -अचल सम्पत्ति विवरण में एकाउण्ट में मार्च 2017 में जमा धनराशि कालम नम्बर-5 में दर्शित किया गया है।

वांछित सूचना सादर प्रेषित है।

दिनांक:-25.11.19


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर
पत्रांक संख्या 8438 दिनांक 25.11.19

अग्रसारित

जनपद न्यायाधीश
फतेहपुर

25/11/19

भवदीय,


25.11.19

(विजय शंकर उपाध्याय)

आई०डी० नम्बर-यू०पी०-1892

विशेष न्यायाधीश, एस०सी०एस०टी०एक्ट,

फतेहपुर।